उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 74/2013-14

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला द्वारा आर0पी0 केस नं0–09/2012–13 में दिनांक 03.10.2013 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी– काशू मुर्मू उर्फ संथाल पिता–स्व0 मोहन मुर्मू उर्फ संथाल, ग्राम–जगन्नाथपुर, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम एवं

(iii) प्रतिवादी – बुधनी मुण्डाईन, पिता–स्व0 मुनीराम मुण्डा, थाना–चातरो, थाना–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम है।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–
मौजा–चतरो, थाना नं0–192, खाता नं0–96, प्लॉट नं0–490, 491, 492, 746, 747 रकवा–0.04ए0, 0.62ए0, 1.49ए0, 0.16ए0, 0.89ए0 खाता नं0–97, प्लॉट नं0–571, रकवा–0.42ए0 एवं खाता नं0–98, प्लॉट नं0–750, रकवा–0.99ए0 कुल रकवा–4.61एकड़ है।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 11.12.2013 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला द्वारा R.P. Case No.-09/2012-13 में दिनांक 03.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Kashu Murmu @ Santhal द्वारा दाखिल किया गया है।

2. निम्न अदालत अभिलेख R.P.Case No.-09/2012-13 में दिनांक 03.10.2013 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "उभय पक्षों के कथन, अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ का प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि :– (i) प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में आवेदक काशु मुर्मू उर्फ संथाल के पिता का नाम अंकित है परंतु पंजी–II में इनका नाम अंकित नहीं है एवं आवेदक या उनके पूर्वजों के द्वारा प्रश्नगत भूमि के लिए लगान का भुगतान कभी नहीं किया है। (ii) टाईटल सूट सं0–1021/1961 में न्यायालय मुन्सिफ, जमशेदपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया है। फलतः यह आदेश अंतिम स्वरूप प्राप्त कर चुका है। उक्त आदेश के आलोक में नामांतरण वाद सं0–104/1962–63 के द्वारा नामांतरण हुआ है एवं प्रतिवादी के नाम से पंजी–II में अंकित है। प्रतिवादी बुधनी मुण्डाईन के द्वारा उक्त समय से 2012–13 तक लगान का भुगतान किया गया है। (iii) आवेदक काशु मुर्मू उर्फ संथाल का वर्ष 1990 में अंतरण या अवैध कब्जा का दावा के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। (iv) टाईटल सूट सं0–1021/1961 में पारित आदेश के लगभग 50 वर्षो के बाद भू–वापसी के लिए आवेदन पत्र दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि टाईटल सूट में पारित आदेश के लगभग 50 वर्षो के पश्चात् आदिवासी भूमि वापसी का

25/2/2016

आवेदन दिया गया है, जो मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में रिजनेबल नहीं है। तदनुसार आवेदक काशु मुर्मू उर्फ संथाल, पिता–स्व0 मोहन मुर्मू उर्फ संथाल, ग्राम–जगन्नाथपुर, थाना– घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम के आवेदन को खारिज किया जाता है।"

3. अपीलार्थी काशु मुर्मू उर्फ संथाल द्वारा दिनांक 11.12.2013 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला द्वारा आर0पी0 केस नं0– 09/2012–13, दिनांक 03.10.2013 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल अपील आवेदन का अवलोकन किया।

4. प्रतिवादी बुधनी मुण्डाईन के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.09.2015 को बुधनी मुण्डाईन के मृत्यु से संबंधित आवेदन एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है का अवलोकन किया।

5. निम्न अदालत अभिलेख में उपलब्ध (i) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला के पत्रांक–374/रा0, दिनांक 25.08.2012 के आलोक में अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक 451, दिनांक 21.12.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि :– "प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत मोहन संथाल, पिता–जोतु संथाल है तथा पंजी–II के अनुसार रैयत बुधनी मुण्डाईन, पिता–मुनीराम मुण्डा है जिनका वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा है। भूमि पर कोई मकान नहीं है। प्रतिवेदन के अनुसार बुधनी मुण्डाईन का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा 50 वर्षो से है एवं पंजी–II के अनुसार हस्तांतरण वैधिक है। कर्मचारी के अनुशंसा कॉलम में अंकित किया गया है कि पंजी–II में नामान्तरण मुकदमा संख्या–104/1962–63 के आदेशानुसार पृष्ठ संख्या–161, 162, 163 में बुधनी मुण्डाईन, पिता–मुनीराम मुण्डा के नाम पर खाता खोला गया है तथा तभी से 2012–13 तक लगान वसूली है।"

(ii) आवेदक काशु मुर्मू उर्फ संथाल के द्वारा निम्न न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का restoration of possession के लिए दाखिल आवेदन, List of document (a) Xerox copy of Ruling Page No.-777 and 778,779, 780 of 2009(2) AIR Jhar. R. Vol. No.2, (b) Xerox copy of Ruling Page No.-586 of 2006(2) AIR Jhar. R 583 Vol. No.-2, (c) Xerox copy of Ruling Page No.-708, 709, 710, 711, 712, 713 and 714 2003(2) JLJR. का अवलोकन किया।

(iii) विपक्षी बुधनी मुण्डाईन के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल कारण–पृच्छा, written argument, एवं list of document (a) Xerox copy of Title Suit No.-1021/1961 (Smt. Budni Mundain -Vrs.- Mohan Santhal) The Court of Munsif, Jamshedpur., (b) Xerox copy of Rent receipt up to year 2012-13, (c) Xerox copy of Circular - 604 Land reforms Date 27.02.1974, (d) Xerox copy of CWJC no.- 3397 of 1999(R) dated 22.08.2001, 2001(3) Jhr. CR 290(Jhr), (e) Xerox copy of CWJC no.- 578 of 1994(R) dated 18.08.2003, 2003(4) JCR 395(Jhr), (f) Xerox copy of A.F.A.D. no.-113/1988 dated

25/02/2016

17.04.2004, 2004(2) JCR303 (Jhr), (g) Xerox copy of Civil Writ Jurisdiction Case no.-325/1988, dated 11.12.1997 (1998) 1BLJR 149, (h) Xerox copy of Appeal from Appellate Decree no.-106 of 1989(R), dated 02.04.2004, 2004(2) JLJR, (i) Xerox copy of F.A. no.-253/1966, dated 15.04.1966, 1966 BLJR का अवलोकन किया।

6. एस0 ए0 आर0 अपील आवेदन, निम्न अदालत अभिलेख एवं उसमें पारित प्रश्नगत आदेश, जाँच प्रतिवेदन, कारण–पृच्छा, सम्पूर्ण अभिलेख उसमें उपलब्ध कागजातों संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि :– हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी काशु मुर्मू उर्फ संथाल के पिता स्व0 मोहन मुर्मू उर्फ संथाल के नाम से दर्ज है। पंजी–II में अपीलार्थी के पिता–स्व0 मोहन संथाल का नाम दर्ज नहीं है। अपीलार्थी या उनके पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान का कभी भुगतान नहीं किया गया है। टाईटल सूट नं0–1021/1961 (श्रीमती बुधनी मुण्डाईन, पिता–श्री मुनीराम मुण्डा –बनाम– मोहन संथाल आवेदक का पिता–स्व0 जोतु संथाल) में दिनांक 25.04.1962/30.04.1962 को पारित आदेश के आलोक में नामांतरण वाद संख्या–104/1962–63 के द्वारा प्रतिवादी बुधनी मुण्डाईन, पिता–स्व0 मुनीराम मुण्डा के नाम पर नामांतरण के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का प्रतिवादी बुधनी मुण्डाईन के द्वारा 2012–13 तक लगान का भुगतान किया गया है एवं पंजी–II में विपक्षी बुधनी मुण्डाईन, पिता–स्व0 मुनीराम मुण्डा का नाम रैयत के रूप में दर्ज है। यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण मुंसिफ न्यायालय, जमशेदपुर में Title Suit के माध्यम से प्रतिवादी को वर्ष 1962 में हो चुका था। अपीलार्थी द्वारा उक्त हस्तांतरण के लगभग 50 वर्ष पश्चात् वर्ष 2012 में निम्न न्यायालय में भू–वापसी हेतु आवेदन दायर किया गया जो काल बाधित था। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1989 तक उक्त भूमि पर दखल के सम्बन्ध में तथा वर्ष 1989 के पश्चात् हस्तांतरण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है जिसे यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 25.02.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

25/02/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

25/02/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C copy of order m/s LCR R.P. case no 09/12-13 sent to DCLR Ghatshila vide memo no. 1218(B)/L d/05/7/16

c.c. 29.6.16